न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–227/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/227)

1. श्रीमती साधना पत्नी श्री राजेन्द्र, जाति खण्डेलवाल निवासी वर्धमान विहार, गायत्री नगर, अजमेर रोड़, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर विरूद्ध निर्णय दिनांक 8.06.2022 राजस्व वाद संख्या 06/2022(2022/22).

उपस्थितः–

1. श्री, मंगलाराम चौधरी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री, विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1

निर्णय

दिनांकः– 17.04.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 06/2022(2022/22) में पारित आदेश दिनांक 8.06.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया/अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर के समक्ष विरूद्ध आप्रार्थी/रेस्पोडेंट प्रस्तुत कर निवेदन किया। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिए नोटिस तलब किया गया। मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई मौके की रिपोर्ट आने पर प्रकरण को बहस के लिए नियत कर उभय पक्ष की बहस सुनकर कानूनी प्रावधानों के बाहर जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अपने निर्णय दिनांक 8.6.2022 द्वारा खारिज फरमा दिया। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 06/2022 में पारित आदेश दिनांक 8.06.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलांट के पास आने जाने हेतु वैकल्पिक मार्ग है जिसमें किसी प्रकार की रूकावट नहीं है, जबकि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलांट अपनी जोत पर आने जाने के काम आ रहे रास्ते को जो राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण रास्ते के काम में आ

Scanned with CamScanner

रहे मार्ग को राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने हेतु आवेदन किया था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विपरीत जाकर आदेश पारित किए है। अपीलांट /प्रार्थीया ने जिन खसरा नम्बर में से रास्ता मांगा है वह खाता संख्या 1 में दर्ज होकर सरकारी भूमि है जबकि धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यदि खातेदार के पास अपनी जोत पर आने–जाने के लिए रिकार्डेड रास्ता नहीं है तो सरकारी भूमियों से जो प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं आती है से भी रास्ता दिया जावेगा। उक्त विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र को खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना–पत्र पेश होने पर विवादित आराजी पर आने–जाने के लिए यदि मौके पर राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है तो अधीनस्थ न्यायालय को विवादित आराजी बाबत मौके की लघुत्तम/दीर्घतम तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार या भू–अभिलेख निरीक्षक की उपस्थिति व अपीलांट व रेस्पोडेंट की उपस्थिति में मंगवाई जाकर विवादित आराजी पर आवगमन हेतु वर्तमान में उपलब्ध लघुतम/दीर्घतम मार्ग का प्रस्तावित आराजी पर चाहे गए मार्ग का विवरण, मार्ग पर रेस्पोडेंटस द्वारा कहां से मार्ग चाहा गया है, लघुतम मार्ग किधर है, मार्ग हेतु कितना रकबा चाहा है, उक्त रकबे की डी. एल.सी दर से चाहे गए मार्ग में किस किन खातेदारों की जमीन ली जानी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध मे बिना किसी प्रकार की जांच किए एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगाए बिना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 69 जो कि आज्ञापक है की पालना में प्राप्त हुई मौका रिपोर्ट के बाद कानूनी प्रावधानों को नजरअंदाज कर प्रार्थीया/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अपीलांट/प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी काश्तकारी की भूमि में आने जोन के लिए मौके पर काम आ रहे रास्तों को ही राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा बनाई गई एक्स पार्टी मौका रिपोर्ट में भी अपीलांट/प्रार्थीया के खातेदारी खेतों पर आने जोन हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं होने का अंकन किया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने यह कहते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया कि अपीलांट/प्रार्थीया के काम आ रहे रास्ते में किसी प्रकार की रूकावट नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के बाहर जाकर आदेश अंतर्गत अपील पारित किया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 06/2022 में पारित आदेश दिनांक 8.06.2022 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट/प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील जवाब/बहस में कथन किया कि तहसीलदार ब्यावर ने अपनी रिपोर्ट पत्रांक राजस्व/253 दिनांक 01.02.2022 प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 570 में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी वर्तमान में खसरा संख्या 570 में ग्राम सेंसपुरा के सरकारी खसरा नम्बर 529 से आता जाता है। प्रार्थी की खातेदारी में आने–जाने का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

खातेदारी खसरा नम्बर 570 में मुख्य सड़क तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 529 आता है और प्रार्थी ने 30 फीट रास्ता चाहा है जिसका रकबा 500 मीटर बनता है। उक्त खसरा नम्बर 529 की किस्म प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए में रास्ते का प्रावधान यह है कि यदि कोई रिकार्डेड खातेदार के पास अपनी आराजीयात में आवागमन हेतु पहुंच मार्ग नहीं है तो वह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए में वर्णित प्रावधानों के अनुसार आवेदन कर विधिक रूप से रास्ता प्राप्त कर सकता है, प्रश्नगत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सरकारी नियम की धारा 69 की पालना में संबंधित आई.एल.आर देलवाड़ा तथा संबंधित पटवारी लसाडिया द्वारा दिनांक 01.02.2022 को मौका रिपोर्ट मुर्तिब की गई उक्त रिपोर्ट के पैरा संख्या 2 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा यह अंकित किया है कि प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात खसरा नम्बर 570 में प्रार्थी मुख्य सडक तक पहुंचने हेतु सरकारी खसरा नम्बर 529 से बेरोकटोक आता जाता रहा है तथा उक्त रास्ते का प्रार्थी आवागमन के रूप में काम में ले रहा है तथा उक्त रास्ता निर्बाध रूप से अवस्थित है इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी काश्तकारी में रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता नहीं है इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी अपने खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात पर उक्त सरकारी जमीन पर निर्बाध रूप से आवागमन करती चली आ रही है जिसमें किसी के द्वारा भी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जा रही है एवं रास्ते की भी सुगमता बनी हुई है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.6.2022 विधि सम्मत प्रतीत होने से हाजा न्यायालय उक्त आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 06/2022(2022/22) में पारित आदेश दिनांक 8.06.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 17.04.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner